रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 12 सितम्बर, 2007 / 21 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 जुलाई, 2007

संख्या मुद्रण ए 4–20 / 98.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23–4–1997, द्वारा अधिसूचित तथा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 7–6–1997, को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, टाईपिस्ट इलैक्ट्रौनिक टाईपराईटर वर्ग–III (Vराजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग टाईपिस्ट इलैक्ट्रौनिक टाईपराईटर वर्ग–।।। (अराजपत्रित) भर्ती एव प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **उपाबन्ध अ का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, टाइपिस्ट इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'अ' में :–

(क) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—
“शतप्रतिशत सीधी भर्ती या संविदा आधार पर,” ।

(ख) स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 15—क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलसी के अधीन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश में टाईपिस्ट इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा ।

(ख) in dk fgekpy in’k v/khuLFk lok,a p;u ckMZ dk dk;Z{k= dk vUrxr vkuk

नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार को अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन सर्वथा इन नियमों में विहित पात्रताशर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को, सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त टाईपिस्ट इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर, को 4,680/— रुपए की दर सं समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/— रुपए की वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्क्रम इत्यादि समबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति के चयन के लिए समिति :

जैसी समबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध 'ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4680 / – रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो कि वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100 / –रुपए की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(ङ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानातरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को लागू हैं, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार :

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में टाईपिस्ट इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध 'ख '

टाईपिस्ट इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर (पदनाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल,के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग , हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने–**टाईपिस्ट इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर** के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :––

1. यह कि **प्रथम पक्षकार टाईपिस्ट इलैक्ट्रोनिक टाईपराईटर** के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम 4680/– रुपए (जो कि वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को किसी भी दशा में कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए किसी भी दशा में स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

9. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

,

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में :––

1.....
.....
.....

(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति मेंः–

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this department Notification No. Mudran (A)4-20/93 dated 11-6-2007, As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*]**.**

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th July, 2007

No. Mudran (A)4-20/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor , Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department**, Typist Electroninc Typewriter, Class-III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion Rules 1997, notified vide Notification of even number dated 23-4-1997 and published in H.P. Rajpatra on 7-6-1997 namely :—

1. *Short Title and Commencement.***—**(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Typist Electronic Typewriter, Class-III (Non Gazetted**), Recruitment and Promotion (2nd amendment) Rules, 2007.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure"A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Typist Electronic Typewriter, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997,

(a) For the existing provisions against the Col.No.10 following shall be substituted, namely;

100% by **direct recruitment or on contract basis.**

(b) After the Col.No.15 the following Col.No.15-A shall be inserted namely :—

15-A (Selection for appointment to the post by contract appoint-ment) :

(I) CONCEPT :

(a) Under this policy, the Typist Electronic Typewriter in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years, on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB :

The Controller, Printing & Stationery Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e*. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made strictly in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :

The Typist Electronic Typewriter appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 4680/- per month (which shall be equal to the initial of the pay scale plus Dearness Pay.) An amount of Rs. 100/- as increase in contractual amount for second and third year will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY :

The Controller, Printing and Stationery H. P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS :

Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* the H. P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE :

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P.Subordinate Service Selection Board from time to time.

(VI) AGREEMEMT :

After selection of a candidate, he/She has to sign an agreement as per Annexure—B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS :

(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.4680/- per month(which shall be equal to initial of pay scale + Dearness Pay).TheContract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.100/- per annum for second and third years respectively,and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind will be admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract .The Contract appointtee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(f) Transfer of a contractual appointee shall not be permitted from one place to another.

(g) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practioner Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

(h) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular officials

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINT-MENT :

The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Typist Electronic Typewriter in the Department at any stage.

By order,
P .C. KAPOOR
Pr. Secretary.

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the -Typist Electronic Typewriter (Name of the post) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery.----------(Designation of the Appointing Authority.).

This agreement is made on this…….....……..day of…...……. in the year……..Between……Sh/Smt.….....…….....….S/o/D/o Shri…….....……R/o……Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **(Typist Electronic Typewriter)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Typist Electronic Typewriter** for a period of one year commencing on day of ……..and ending on the day of……. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…….And information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs. 4680** /-per month.(which shall be equal to Initial of pay scale + Dearness pay.).

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good. Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

5. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……..
……
……
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2……..
……
……
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……..
……
……
(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2……..
……
……
(Name and full Address)

REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 18th August, 2007

No. AS/CM-R. P. G. D. –1-1/ 2004.— In continuation of this Department Notification No .G.A.B.–A (4) –1/94- Loose dated 8 August 2005 , the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following non-officials Members on the District Level Redressal of Public Grievances Committees for all the Districts of the State with immediate effect, in the following manner:—

01. District Shimla:

(i). Shri H.S. Chauhan, President,
Shimla District Pensioners Welfare Association,
R/o Below Jubbal Sarai Building, Sanjauli,
Shimla-171006.

(ii). Shri S.R. Dhiman, General Secretary,
Shimla District Pensioner Welfare Association,
R/o Lal Pani, Shimla-171001.

02. District Kinnaur:

(i). Shri Bir Singh Negi, President,
Kinnaur District Pensioners Welfare Association,
R/o Village Donallu, P.O. Reckong Peo, Tehsil Kalpa,
District Kinnour, H.P.

(ii). Shri V.B. Negi, General Secretary,
Kinnaur District Pensioners Welfare Association,
R/o V& PO Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnour, H.P.

03. District Solan:

(i). Shri K.D. Sharma, President,
Solan District Pensioners Welfare Association,
R/o Village Kuthar, P.O. Krishan Garh, Tehsil Kasauli,
District Solan, H.P.

(ii) Shri D.K. Thakur, General Secretary,
Solan District Pensioners Welfare Association,
R/o Village and P.O. Suraj Pur, Tehsil Kasauli,
District Solan, H.P.

04. District Sirmour:

(i). Shri Ram Swarup Chauhan, President,
Sirmour District Senior Citizens & Pensioners
Welfare Association, R/o Puran Niwas, The Mall Nahan,
District Sirmour, H.P.

(ii). Sh. Ram Rattan Sharma, General Secretary,
Sirmour District Senior Citizens & Pensioners
Welfare Association, Kumar Gali, Nahan,
District Sirmour, H.P.

05. District Bilaspur:

(i). Con. Amba Prasad Gautam [Retd.], President,
Senior Citizens Association, NBT, Bilaspur, H.P.

(ii). Sh. R.L. Sharma, General Secretary,
Senior Citizens Association,
R/o House No.69, Sector-2 (Raura),
NBT, Bilaspur, H.P.

06. District Hamirpur:

(i) Shri Udham Singh Thakur, President,
Hamirpur District Pensioners Welfare Association,
R/o Village Badehru, P.O. Barara,
Tehsil & District Hamirpur, H.P.

(ii) Shri Soni Kumar Kaura, General Secretary,
Hamirpur District Pensioners Welfare Association,
R/o Near Pump House, Anu,Hamirpur, H.P.

07. District Una:

(i). Shri Girdhari Lal Sharma, President,
Una District Pensioners Welfare Association,
R/o Rotary Street, Una, H.P.

(ii). Sh. B.D. Sharma, General Secretary,
Una District Pensioners Welfare Association,
R/o Arnayal, P.O. Takka, The. & District Una, H.P.

08. District Kangra:

(i). Shri P.S. Rana, President,
Kangra District Pensioners Sangh,
V&PO Shahpur, District Kangra, H.P.

(ii). Er. Sardari Lal Gupta, General Secretary,
Kangra District Pensioners Sangh,
V & PO Nurpur, District Kangra, H.P.

09. District Mandi:

(i). Dr. K.C. Malhotra, President,
Mandi District Pensioners Welfare Association,
Nirmal Niwas, Jawahar Nagar, District Mandi, H.P.

(ii). Shri Shiv Kumar Sharma, General Secretary,
Mandi District Pensioners Welfare Association,
R/o Purani Mandi, Mandi, H.P.

10. District Kullu

(i). Sh. S.C. Thakur, President,
Kullu District Senior Citizens & Pensioners
Welfare Association, R/o Shiva Lodge, Dhal Pur,
District Kullu, H.P.

(ii). Shri Hira Lal Thakur, General Secretary,
Kullu District Senior Citizens & Pensioners
Welfare Association, R/o Village & P.O. Archhandi,
via Raison, District Kullu, H.P.

11. District Lahaul and Spiti:

(i). Shri S.C. Thakur, President,
Kullu District Senior Citizens & Pensioners
Welfare Association, R/o Shiva Lodge, Dhal Pur,
District Kullu, H.P.

(ii). Shri Bishan Dass Parsheera, General Secretary,
Lahaul & Spiti District Pensioners Welfare Association,
R/o Rangai P/o Lot, Tehsil Keylong,
Distric District Lahaul & Spiti, H.P.

12. District Chamba:

(i). Sh. P.C. Oberoi, President,
Chamba District Unit, H.P. State Pensioners Welfare
Association, Mahaesh-Saraswati Niwas, Opposite Govt.
Senior Secondary School for Boys, Chamba, H.P.

(ii). Shri Kuldeep Singh Jasrotia, General Secretary,
Chamba District Unit, H.P. State Pensioners Welfare
Association, R/o Shiv Shakti Niwas, Hardaspura,
District Chamba, H.P.

All the above-mentioned newly nominated Members shall be entitled for TA/DA as fixed by the Finance department from time to time.

———

Shimla-2, the 23rd August, 2007

No. RPGD-A[4]-15/2003.— In continuation of this Department Notification No .G.A.D-B.–A (4) –15/2003 [Sirmour] dated 08th August, 2003, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Shri Geeta Ram Thakur, Ward No. 5, Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmour, H.P. as Non-Official Member on the District Level Grievances Committees of District Sirmaur, H.P., with immediate effect, in the public interest.

Shri Geeta Ram Thakur, newly nominated Non-Official Member of above-mentioned Committee shall be entitled for TA/DA as fixed by the Finance department from time to time.

By order,
T.G. NEGI,
Pr. Secretary.

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the September, 2007

No: AHY-G (6)-2/96-Part-I.—On the recommendations of Evaluation Committee constituted vide this department Notification No: AHY-G (6)-2/96 dated 28-05-1998, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to accord his approval in the fixation of rates in respect of Livestock and its Products for the year 2007-2008 as shown at **Annexure –"A".** These rates shall come into practice with immediate effect.

By order,
Sd/-
Secretary.

———

COOPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th August, 2007

No.Coop.B(2)-3/96-IV.— In partial modification of this department notification of even number dated 16th August,2007, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the posting of Shri Ramesh Kumar Malta, newly promoted Assistant Registrar Cooperative Societies in the Directorate of Cooperation Shimla against the vacant post of Assistant Registrar Cooperative Societies(Audit), in the public interest with immediate effect.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary=

———

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 5th September, 2007

No.EDN-C-A (1)-3/2006.—In partial modification of this Department's notification of even number dated 2.9.2006 regarding reconfiguration of Directorates of Higher and Elementary Education and notification of even number dated 2.9.2006 regarding promotional channels of teaching staff after restructuring of the Directorates, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the words 'Headmaster (Junior Scale)' wherever appearing in the notifications may be replaced with the word 'Headmaster'.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th August, 2007

No.EDN-C-A(2)4/2003.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the committee consisting of the followings;

1.	ADC/ADM of the District as nominated by the Deputy Commissioner thereof.	...	*Chairman*
2.	Assistant Commissioner to Deputy Commissioner/ Equivalent Officer nominated by the Deputy Commissioner.	...	*Member*
3.	Deputy Director, Elementary Education.	...	*Member Secretary*

This committee will select the Primary Assistant Teachers (PATs) for Primary Schools in the Panchayats where suitable candidates, as per roster point provided under the amended provision of para 3 of "Himachal Pradesh Prathmik Sahayak Adhyapak/ Primary Assistant Teacher (PAT) Scheme,2003", are no available.

By order,
P.MITRA.
Principal Secretary.

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT, KULLU DISTT. KULLU.

NOTIFICATION

Kullu, the 22nd August, 2007

No.FDS(Lic.)17/93-II.—In super-session of all previous notifications & in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3 (i) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Orders,1977, I, Abhishek Jain, IAS, District Magistrate,Kullu, District Kullu with a view to make the following items available to the public consumers at reasonable rates in the market, do hereby fix the maximum retail prices inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following items that may be charged by a dealers or a producers in Kullu District, with immediate effect:-

Sr.No.of the articles as per Schedule-1 of the said order.	NAME OF AERTICLES		Maximum retail prices
12	A-1	Meal Bakra/Bheda (Mixed) incl. Charbi	110-00 P.kg
	A-2	Meat Bakra/Bheda (Bone less)	140-00 P.Kg
	A-3	Keema/Kalegi	140-00 P.Kg.
	A-4	Poti/Siri	70-00 P.Kg.
	A-5	Leg Piece/ Champ	130-00 P.Kg.
	A-6	Meat Pig	95-00 P.Kg.
	A-7	Chicken/Broiler (Dressed)	100-00 P.Kg.
	COOKED FOOD SERVED IN ANY DHABAS & ESTABLISHMENT.		
17.	A.	Chapati Tandoori (Per Chapati)	2-50
	B.	Chapati Tawa (Per Chapati)	2-00
	C.	Stuffed Prauntha (Per Prauntha)	7-00
	D.	Plain Prauntha (Per Prauntha)	6-00
	E.	Two Poori with Channa (Per Plate)	10-00
	F.	Rice-Chapati with Dal Vegetable & Kahari – (full -diet)	25-00
	G.	Rice Parmal (Per Plate)	12-00
	H.	Dal Ordinary (Per Plate)	6-00
	I.	Dal Fried (Per Plate)	12-00
	J.	Vegetable Special (Per Plate)	20-00
	K.	Palak/Mutter Paneer (Per Plate)	40-00
	L.	Meat Plate with 5 pieces weighing200 Gms per plate	40-00
	M.	Chichen Curry Per Plate	40-00
	N	Thukpa non-Veg. Full Plate	15-00
	O	Thukpa Non-Veg Half Plate	10-00
	P	Thukpa Veg. Full Plate	15-00
	Q	Thukpa Veg. Half Plate	10-00
	R	Momo non-Veg. Full Plate(8 Pieces)	20-00
	S	Momo Non-Veg. Half Plate(4 Pieces)	10-00
	T	Momo Veg. Full Plate(10 Pieces)	20-00
	U	Momo Veg. Half Plate (5 Pieces)	10-00
	V	Chomin Non-Veg. Full Plate	30-00
	W	Chomin Non-Veg Half Plate	20-00
	X	C homin Veg. Full Plate	25-00
	Y	Chomin Veg. Half Plate	15-00

18.	A	Milk Per Liter (Local Supply)	13-00
	B	Milk Boiled per liter (Local Supply)	14-00
	C	Milk packed per liter	As per Printed Price
	D	Paneer	110-00 Per Kg.
	E	Curd	20-00 Per Kg.
20.	**BOTTLED BEVERAGES**		
	A	Cold Drink	As per Printed price
	B	Soda per bottle (Local Manufactured)	5-00

NOTE:— All the dealers of Kullu Distt. are hereby directed to display the rate List of above commodities conspicuously in "DEVNAGRI" script at their business premises for the information of the consumer duly signed either by the Owner/Prop;/Manager. This Notification shall be valid for a period of one month from the date of its publication in the Official Gazette.

Sd/-
(ABHISHEK JAIN) IAS
District Magistrate,
Kullu,Distt. Kullu.

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा प्रदेश परिषद (निर्वाचन) नियम, 2007

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 16 अगस्त, 2007

संख्याः एच.एफ.डब्ल्यू–बी(ए)2–2 / 2001– ।।।.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 31 द्वारा प्रदत शक्तियों और इस निमित उसे सश्क्त बनाने के लिए समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते है और इन नियमों को जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन नियमों द्वारा सम्माव्य प्रभावित कोई हितबद्व व्यक्ति यदि इन नियमों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप यह सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव पर, यदि कोई हो, सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः–

प्रारूप नियम

भाग–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (निर्वाचन) नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएंः– इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्व न होः–**

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश, चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) अभिप्रेत हैः–

(ख) ''परिषद्''से अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत हैः

(ग) ''निर्वाचन'' या ''पुनः निर्वाचन'' से राज्य चिकित्सा परिषद् में लिए निर्वाचत या पुनः निर्वाचन अभिप्रेत हैः

(घ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैः

(ङ) ''नामनिर्देशन'' या पुनः निर्वाचन से राज्य चिकित्सा परिषद में लिए निर्वाचित या पुनः निर्वाचन अभिप्रेत हैः

(च) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत हैः

(छ) ''रजिस्टर'' से अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुरक्षित चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर अभिप्रेत हैः

(ज) ''रजिस्ट्रार से अधिनियम की धारा 14 के अधीन परिषद द्वारा नियुक्त समय–समय पर जाने वाला परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत हैः

(झ) ''रिटर्निग अधिकारी'' से इन नियमों के नियम 3 के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार अभिप्रेत हैः

(ञ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत सरकार अभिप्रेत है।

(ट) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों में, जो इसमें है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, व ही अर्थ होगें जो अधिनियम में है।

भाग –2

राज्य चिकित्सा परिषद के लिए निर्वाचन

3. **रिटर्निगं अधिकारीः–** रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार रिटर्निंग अधिकारी होगा। रिटर्निंग अधिकारी नई परिषद के गठन के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगा और वह, विद्यमान परिषद की अवधि के

अवसान से कम से कम 60 दिन पूर्व नई परिषद् के गठन के बारे में और प्रान्तावित निर्वाचन की अनुसूची के बारे में राजपत्र में और दो अग्रणी समाचारपत्रों में भी अधिसूचित करवायेगा।

4. नई परिषद का गठनः— नई परिषद् का गठन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थातः—

(क) रिटर्निंग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित, चिकित्सा संकाय वाले प्रत्येक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सकायध्यक्ष (डीन) प्रधानाचार्य निदेशक को, अध्यापन संकाय के स्थायी सदस्यों में से उसके चिकित्सा संकाय द्वारा प्रत्येक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एक सदस्य निर्वाचित करने के लिए सूचित करेगा। निर्वाचन, संबंधित महाविद्यालय द्वारा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, हिमाचल प्रदेश के निदेश के अधीन आयोजित विशेष बैठक में तीस दिन के भीतर संचालित और पूर्ण किया जाएगा, जिसमें निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या उसका प्रतिनिधि निर्वाचन कार्यविधियों तथा निर्वाचित सदस्यों के नाम रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किए जाएंगे।

(ख) रिटर्निंग अधिकारी, हिमाचल चिकित्सा अधिकारी सगम (हिमाचल प्रदेश) को इसके सदस्यों में से एक सदस्य को परिषद के लिए निर्वाचित किए जाने के बारे में सूचित करेगा। ऐसे सदस्य का निर्वाचन उक्त संगम द्वारा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश के निदेशों के अधीन आयोजित विशेष बैठक में तीस दिन के भीतर संचालित और पूर्ण किया जाएगा, जिससे निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या उसका प्रतिनिधि निर्वाचन कार्यवाहियों की देख रेख करेगा तथा निर्वाचित सदस्यों का नाम रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाऐगा। ऐसी बैठक में परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ही भाग लेंगे तथा मतदान करेंगे

स्पष्टीकरणः— इस खण्ड के प्रयोजना के लिए निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं विनिश्चय करेगा कि कौन से संगम (एसोसियेशन) का मान्यता प्राप्त है और उसका सिनिश्च अन्तिम होगा।

(ग) रिटर्निंग अधिकारी, राज्य सरकार से, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1950 का केंद्रीय अधिनियम संख्याक में यथा विहित अर्हताए रखने वाले चार सदस्यों का परिषद् में नामनिर्देशन हेतु अनुरोध करेगा। राज्य सरकार, तीस दिन के भीतर ऐसे चार सदस्यों के नाम रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी, इन नियमों के भाग 3 में अनतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा स्वयं में से धारा 3 के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले आठ सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करेगा।

भाग —3

निर्वाचक नामावली का तैयार करना और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों में से सदस्यो के निर्वाचन का ढंग।

5. मतदाताओं की अर्हताएंः—(1) कोई भी व्यक्ति मत देने या निर्वाचित किये जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक किः—

(1) वह भारत का नागरिक न हो;

(2) उसका नाम धारा 15 के अधीन वर्णित रजिस्ट्रर मे दर्ज न हो, और

(3) वह या तो अपना व्यवसाय कर रहा हो या हिमाचल पद्रेश राज्य में नियोजित हो।

(2) मतदाता का नाम निर्वाचित नामातली से इस कारण से नहीं हटाया जाएगा कि अन्तिम रजिस्टर के प्रकाशन के पश्चात निर्वाचित उस हैसियत में नहीं रह गया हैं जिस में वह रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

परन्तु यह कि किसी निर्वाचन के लिए अन्यर्थी अपेक्षित अर्हता। हैसियत, जिसके आधार पर वह निर्वाचन चाह रहा है, लगातार बनाए रखे।

6. निर्वाचक नामांवली तैयार करनाः—(1) नियम 9 के उप—नियम 1 के अधीन जारी की गई निर्वाचन की सूचना (नोटिस) की तारीख को, निर्वाचित हेतु निर्वाचक नामवली, परिषद से रजिस्ट्रीकृत समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से सभाविष्ट होगी।

2. रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचन नामावली धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायियों के नामों से युक्त अनतर्विण रजिस्टर से तैयार की जाएगी और इसमें, परिषद के सदस्य के निर्वाचन हेतु मत देने के लिए अर्हित प्रत्येक निर्वाचक का नाम, पिता का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या अन्तर्विष्ट होगी।

3. निर्वाचकों के नामों की एक प्रति बना कर, परिषद के कार्यालय में प्रदर्षित करते हुए निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवा कर, ऐसे क्रम में रखी जाएगी जिस क्रम में वे दावे यह आपेक्ष आंमत्रित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है।

4. रिटर्निंग अधिकारी, यह कथन करते हुए सूचना (नोटिस) प्रकाशित करेगा कि उपर्युक्त निर्वाचक नामावली से प्रविष्टियों या लोप से सम्बंधित कोई आपेक्ष, सूचना (नोटिस) में बिनिर्दिष्ट किए जाने वाले आक्षेपों की सुनवाई की तारीख को या से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उसके कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

7. दावे और आपेक्ष दाखिल करने के लिए प्ररूप और उनके निपटान की रीतिः—

1. नामावली मे नाम सम्मिलित करने हेतू प्रत्येक दावा और उसमें प्रविष्टि का प्रत्येक आपेक्ष, इन नियमों के नियम 6 के उप—नियम (3) के अधीनप नामावली के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, क्रमशः प्ररूप—1 और 11 में दाखिल किया जाएगा।

2. प्ररूप—1 में किया गया प्रत्येक दावा, उस व्यक्ति द्वारा, जो अपना नाम नामावली में सम्मिलित करने की अपेक्षा करता है हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3. नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप —11 में प्रत्येक आपेक्ष, उस व्यक्ति द्वारा जिस का नाम पहले से ही नामावली में सम्मिलित है, किया जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसका नाम भी नामावली में सम्मिलित है, प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

4. यथास्थिति प्रत्येक ऐसे दावे या आपेक्ष का रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षण किया जाएगा जो उस पर अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करेगा, जिसके अनुसरण में वह, दावे यह आपेक्ष को या तो अनुज्ञता यह अस्वीकार कर सकेगा।

परन्तु दावे या आपेक्ष को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि दावा या आपेक्ष करने वाले व्यक्ति को ऐसे अस्वीकृत किए जाने के विरूद्व अभ्यावेदन (ब्यपदेशन) करने का अवसर न दे दिया जाए।

(5). दावे यह आपेक्ष को अनुज्ञात करने या अस्वीकृत किए जाने का, रजिस्ट्रार का बिनिश्चय अन्तिम होगा।

8. नामावली का अन्तिम प्रकाशनः—

(1). रजिस्ट्रार, नियम न के अधीन दावों ओर आक्षेपों, यदि कोई हों, का निपटान करने के पश्चात, उक्त नियम के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए और नामावली में, तत्पश्चात प्रकट हुई

या उसके नोटिस में लाई, किसी लेखन भूल या मुद्रण सम्बन्धी मूल या अन्य अशुद्वियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सूची तैयार करेगा।

(2). रजिस्ट्रार, संशोघनो की सूची सहित नामावली संपूर्ण प्रति बनाकर, इसे प्रकाशित (करेगा) करवाएगा और इसे परिषद् के कार्यालय में प्रदर्शित करके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवायेगा और ऐसे व्यक्तियों, जिन्होने इसकी प्रदाय (पूर्ति) करने हेतु आवेदन किया हो, संदाय पर निर्वाचक नामावली की प्रतियों की पर्याप्त संख्या मुद्रित करवाएगा।

(3). ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची सहित नामावली होगी, जो धारा 3 की उप–धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कर सकेंगे।

(4). उप–नियम (2) के अधीन प्रकाशित संशोघनों सहित नामावली की प्रति रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

9. निर्वाचन सूचनाः–

(1). जब कभी धारा 3 की उप–धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन परिषद के लिए निर्वाचन किया जाना है या रिक्त भरी जानी है, तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित भौरें देते हुए और निर्वाचको से सूचना (नोटिस) में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करते हुए प्ररूप–111 के अनुसार सूचना (नोटिस) जारी करेगा।

(क) निर्वाचन की तारीख।

(ख) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या।

(ग) जब तक तारीख व समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन फाइल किए जाएगें।

(घ) (नामांकन) पत्रों का संवेक्ष की तारीख और समय।

(ङ) जब तक कोई तारीख और समय अम्यर्थी अपना नामनिर्देशन (नामांकन) वापस ले सकेगें।

(च) मतो की गणना और परिणामों की घोषणा की तारीखः और

(छ) निर्वाचन की बावत कोई अन्य सुसंगत जानकारीः

परन्तु

(i) नामनिर्देशन (नामांकन) फाइल दाखिल करने हेतु तारीख उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात सातवां दिन, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उगला उतरवर्ती दिन जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है होगाः

(ii) नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लेने की अतिम तारीख नामनिर्देशन (नामांकन) की संवेक्षा हेतु दिन के पश्चात दूसरा दिन या, यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो अगला उत्तरवर्ती दिन, जो सार्वजनिक अवकाश नही, होगाः

(iii) मतदान की तारीख, यदि आवश्यक हो, (नामांकन) वापस लेने की अंतिम तारीख से तीसवें दिन से पूर्ण नहीं होगी : और

(iv) मतो की गणना और परिणामों की घोषणा हेतु तारीख और समय मतदान की तारीख से तीसरे दिन से परे (के पश्चात) नहीं होगा।

(2). उप–नियम (1) के अधीन जारी सूचना (नोटिस) द्वारा परिषद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र भी आमंत्रित किए जाएंगे और उस स्थान को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जहां पर (नामांकन) पत्र परिदत किए जाने है।

(3). सूचना (नोटिस) प्रति अंग्रेजी और हिन्दी में दो अग्रणी समाचार–पत्रों में प्रकाशित करने के साथ–साथ रजिस्ट्रार के कार्यकाल में सूचना बोर्ड पर चिपकाई जाएगी।

10. नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों की प्रस्तुति और विद्यमान्य (नामांकन) के लिए अपेक्षाएंः–

(1). नियम 9 के उप–नियम 1 के अधीन नियत तारीख को या पहले प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) हेतु प्रतिभूति के रूप में हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद को शिमला में संदेश 1000 / – (एक हजार रूपए) के बैंक ड्राफ्ट सहित प्ररूप –पअ में नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को अभिलिखित पत्र सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा या व्यक्तिगत रूप से परिदत करेगा।

(2). प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र जो निर्वाचकों द्वारा एक प्रस्थापक के रूप में और अन्य समर्थक के रूप में, हस्ताक्षरित किया जाएगा। तथा उनके द्वारा सातविक और समर्थित अभ्यर्थी द्वारा अनुभव होगा।

परन्तु कोई भी निर्वाचक (मतदाता) जितने पद भरे जाने है उससे अधिक (नामांकन) पत्र, हस्ताक्षक या सर्म्थन के रूप में हस्ताक्षरित नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई निर्वाचक जितने पद भरे जाने है उनसे अधिक संख्या में नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र हस्ताक्षरित करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, भरे जाने वाले पदो की सख्या से अधिक हो, साथ–साथ प्राप्त हुए हों, तो ऐसे समस्त नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र अवधिमान्य होंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र की प्राप्ति पर, उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

11. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण और प्रतिदानः– (1) यदि कोई अभ्यर्थी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से नियम 10 में निर्दिष्ट प्रतिभूति किया जा चुका है, निर्वाचित नहीं होता है और उसके पक्ष में डाले गए मतों की संख्या डाले गए कुल विधिमान्य मतों के 1/6 से कम है या अभ्यर्थी के खाते में ठीक 1/6 विधिमत मत (प्रविष्ट) दर्ज हुए हैं तो प्रतिभूति निक्षेप परिषद को समपहृत हो जाएगी।

(2) निम्नलिखित मामलो में प्रतिभूति निक्षेप रिटर्निंग अधिकारी की सिफारिश पर, अध्यक्ष के लिखित ओदश द्वारा अभ्यर्थी को या यदि उसके द्वारा नही किया गया है तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा उसे दिया गया था या जहां अभ्यर्थी की मृत्यु हो चुकी हो तो उसके विधिक प्रतिनिधि को उसका प्रतिदाय किया जाएगा।

(क) जहां अभ्यर्थी का नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया हो'; या

(ख) जहां अभ्यर्थी ने विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लिया हो;

या

(ग) जहां निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व ही अभ्यर्थी की मृत्यु हो चुकी हो।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय, निम्नलिखित मामलों में निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के पश्चात् किया जाएगाः–

(क) जहां पग्रति अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ, तथापि उप–नियम (1) के अधीन अपनी प्रतिभूति निक्षेप समपहृत नहीं करता; या

(ख) जहां अभ्यर्थी निर्वाचित हुआ हो।

12. नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र की अस्वीकृतिः– नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस निमित नियत तारीख को या पहले प्राप्त नहीं होता है अस्वीकृत (नामंजूर) किया जाएगा।

13. नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र की प्रतिभूतिः– (1) नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों की संवीक्षा हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत तारीख और समय पर अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का सस्तासवक और समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा इस निमित समपक रूप से प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में हाजिर हो सके तो जो उन्हें समस्त अभ्यर्थियों नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों, जो उसके पास प्राप्त हुए है की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा। (2)नामनिर्देंशन (नामांकन) अविधिमान्य घोषित किया जाएगा।

(क) यदि प्रस्तावक या समर्थक ने रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों की नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र हस्ताक्षरित किए हो;

(ख) यदि नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र अभ्यर्थी द्वारा या प्रस्तावक द्वारा या समर्थक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुआ हो।

(ग) यदि नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र रिटर्निंग अधिकारी को नाम द्वारा संबोधित नहीं किया गया हो और इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित तारीख और समय तक रजिस्ट्रीकृत आवरण / लिफाफे उसके पास नहीं।

(घ) यदि अभ्यर्थी द्वारा नियम 10 के अधीन प्रतिभूति के रूप में निक्षिपत किए जाने हेतु अपेक्षित 1000 / रूपए (एक हजार रूपए) की राशि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत तारीख और समय के भीतर प्राप्त नहीं की गई हो;

(ङ) यदि इसमें प्रस्तावक और समर्थक की रजिस्ट्रीकरण संख्या नहीं हो या यदि रजिस्ट्रीकरण संख्या गलत हो;

(च) यदि अभ्यर्थी के पास वे अपेक्षित अर्हताएं या क्षमता न रह गई हो जिसके आधार पर वह निर्वाचन चाह रहा हो; और

(छ) यदि अभ्यर्थी धारा न की उपधारा 1 के अधीन परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए रिर्हित हो।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, इस प्रकार प्राप्त नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों की परीक्षा (जाचं पड़ताल) करेगा और ऐसे समस्त प्रश्नों को विनिश्चित करेगा जो किसी नामनिर्देशन (नामांकन) की विधिमान्यता की बावत उत्पन्न हो सकते हों तथा उन पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

14. नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लेनाः– (1) कोई भी अभ्यर्थी नियम 9 के उप नियम 1 के अधीन नियत तारीख से पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी को उसके द्वारा हास्ताक्षरित, लिखित में, नोटिस परिदन्त करके अपना नामनिर्देंशन (नामांकन) वापस ले सकता है। (2) अभ्यर्थी जिसमें अपना नामनिर्देशन (नामांकन) वापस लिया हो, उसे (वापिस लिया जाना) रद्ध करने के लिए या उसी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में पुनः नामनिर्देंशन (नामांकन) किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशनः– (1) नियम 14 के अधीन, उस अवधि के अवसान के ठीक पश्चात् जिसके भीतर अभ्यर्थिता को वापस लिया जा सकता है, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन

लड़ने वाले अभ्यर्थियों अर्थात अभ्यर्थी जो विद्यिमान्य रूप से नामांकित हुए थे और जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता को उक्त अवधि के भीतर वापस नहीं लिया हो की सूची तैयार करेगा तथा राज्य में अग्रणी समाचार–पत्रों में से किसी एक में प्रकाशित करवाएगा। (2) उक्त सूची में निर्वाचिन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम (वर्णक्रम में) और पते अनतर्दिष्ट होंगे। (3) उक्त सूची राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी प्रचार किया जाएगा जैसी निटर्निंग अधिकारी उचित समझें।

16. मतदानः– (1) यदि निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन (नामांकन) फाइल हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होती, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल सम्पक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। (2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए नियम तारीख से पूर्व तीस दिन अपश्चात प्ररूप –VI मे संख्याकित घोषणा पत्र के साथ प्रत्येक अन्य निर्वाचक को, प्ररूप V में सूचना पत्र, अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रम में अन्तर्दिष्ट करते हुए और रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर वाला परूप – VII में मतदान पत्र, रिटर्निंग अधिकारी को संशाधित मतदान पत्र आवरण तथा उक्त अधिकारी को संशाधित बाह्य आवरण भी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा। (3) निर्वाचक को भेजे सूचना के प्रत्येक ऐसे पत्र की बावत डाक का प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किया जाएगा। (4) कोई निर्भयक, जिसे उसको डाक द्वारा भेजे गए मतदान और अन्य संबद्व पत्र प्राप्त नहीं हुए हो या जिसने उन्हें खो दिया हो या जिसके मामले में पत्र रिटर्निंग अधिकारी को वापस करने से पूर्व ही अनवधानता से (विकृत) खराब हो गए हो, उस प्रभाव की घोषणा, लिखित रूप में पारेशित कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी को मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व पन्द्रह दिन अपश्चात उसे नए पत्र भेजने के लिए प्रार्थना कर सकेगा तथा यदि पत्र खराब (विकृत) हुए हों तो खराब (विकृत) हुए पत्र रिटर्निंग अधिकारी को वापस किए जाएंगे, जो प्राप्त करने पर उन्हें रद्व करेगा। (5) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें ऐसे नए पत्र जारी किए गए हो, नामावली में, यह घोषित करने के लिए कि उसे नए पत्र जारी किए गए है, निर्वाचक के नाम से संबनिधित संख्या के सामने एक चिन्ह लगया जाएगा। (6) निर्वाचक द्वारा उसके मतपत्र और अन्य संबद्व पत्रों के प्राप्त न होने के कारण कोई भी निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा। (7) प्रत्येक निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों को मतदान करने का अधिकार होगा, जितने स्थान / पद निर्वाचन द्वारा भरे जाने है तथा मत अनंतरणीय होगा। (8) प्रत्येक निर्वाचक जो सूचना–पत्र (प्ररूप–V) में दिए गए निर्देष के अनुसार घोषण–पत्र (प्ररूप–VII) भरने के पश्चात अपना मत अभिलिखित करने का इच्छुक हो तो मतपत्र को मत आवरण (लिफाफे) में संलग्न करेगा, चिपकाएगा और घोषणा पत्र के साथ उक्त आवरण (लिफाफे) रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित बाह्य लिफाफे में संलग्न करेगा तथा उस बाह्य लिफाफे को डाक द्वारा निर्वाचक की अपनी लागत पर या दस्ती रिटर्निंग अधिकरी को इस प्रकार भेजेगा ताकि यह उसके पास मतदान के लिए नियत तारीख पर मतदान बन्द करने हेतु नियत समय से अपश्चात पहुंचे। (9) घोषणा–पत्र से युक्त लिफाफे और मतपत्र से युक्त बन्द लिफाफे आदरण की डाक द्वारा या दस्ती प्राप्ति पर रिटर्निंग अधिकारी बाह्य लिफाफे पर इसकी प्राप्ति की तारीख और समय पिरिवेष्टित करेगा। (10) उक्त दिवस और समय पश्चात प्राप्त समस्त लिफाफे अस्वीकृत किए जाएंगे।

17. आवरण (कवर) का खोला जानाः– (1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के ठीक पश्चात समस्त बाह्य लिफाफे खोलेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, उस समय जब बाह्य लिफाफे खोले जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकते है या उस समय उपस्थित रहने हेतु अपना सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि भेज सकेंगें।

18. मतपत्र आवरणों की अस्वीकृतिः– (1) कोई मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत (नामंजूर) किया जाएगा, यदि –

(क) मतपत्र आवरण के बाहर बाह्य लिफाफे में कोई घोषणा–पत्र अमलर्दिष्ट नहीं हो; या–

(ख) घोषणा–पत्र वह नहीं है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा से भेजा गया था; या

(ग) घोषणा–पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित, नहीं किया गया है; या

(घ) मतपत्र को मतपत्र आवरण के बाहर रखा गया है; या

(ङ) असी (एक ही) बाह्य लिफाफे में एक से अधिक घोषणा–पत्र या मतपत्र आवरण संलग्न किए गए हैं।

(2) अस्वीकृति (नामंजूरी) के प्रत्येक मामले में मतपत्र, आवरण और घोषणा पत्र पर ''अस्वीकृत'' शब्द पृष्ठांकित किया जाएगा। मतपत्र आवरण पर, अस्वीकृत के लिए कारण भी, संक्षेप में अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) रिटर्निंग अधिकारी अपना यह समाधान करने के पश्चात कि निर्वाचकों ने घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए है, नियम 22 के अधीन निपटारा होने तक समस्त घोषणा–पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

19. संवीक्षा और मतों की गणनाः– (1) मतो की गणना हेतु नियत तारीख को नियत तारीख को नियम 18 के अधीन अस्वीकृत से भिन्न मतपत्र आवरण खोले जाएंगे और निकाले गए मतपत्र इकटठे मिलाये / मिश्रित किए जाएंगे। (2) मतपत्रों की उसके बाद संवीक्षा की जाएगी और विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी। (3) गणना की प्रक्रिया को देखने हेतु कोई अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकता है या सम्यक रूप से प्रधिकृत लिखित में उसके द्वारा अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। (4) मतपत्र अविधिमान्य होगा यदि, –

(क) इस पर रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर न हो;

(ख) मतदाता मतपत्र पर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है या इस पर कोई चिन्ह लगता है जिसके द्वारा यह उसके मतपत्र के रूप में पहचान किए जाने योग्य बन जाता है; या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या

(घ) यह अभिलिखित मत की अनिश्चितता के कारण शून्य है; या

(ङ) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है; या

(च) मत का अभिलेख इस प्रयोजन के लिए उपबंधित से भिन्न स्थान पर या रीति में किया गया हो।

(5) रिटर्निंग अधिकारी, यदि ऐसा निवेदन किया गया है तो, संवीक्षा या मतो की गणना के समय मतपत्र अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दिखाएगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि उस आधार पर कि यह विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन नहीं करता हैं मतपत्र की स्वीकृति पर या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की अस्वीकृति पर कोई आपेक्षा करता है तो इसका विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल किया जाएगा जिसका विनिश्चक उस पर अंतिम होगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित जारी किए जाने वाले ऐसे निदेशों के अनुसार, मतो की गणना हेतु व्यक्तियों की संख्या नामनिर्दिष्ट करेगा जैसी वह उचित समझे।

20. पुनर्गणना के लिए व्यवस्थाएंः– कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता मतो की गणना के दौरान किसी भी समय रिटर्निंग अधिकारी को समस्त अभ्यर्थियों या किसी अभ्यर्थी के मतों की पुनगर्णना करने के लिए लिखित मे, निवेदन कर सकता है तथा रिटर्निंग अधिकारी तदनुसार तत्काल उनकी पुनगर्णना करेगा। रिटर्निंग अधिकारी प्रायः किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी पूर्व गणना की शुद्वता के बारे में उसका समाधान न हुआ हो, अपने सवविवेक से, एक या अधिक बार मतो की पुनगर्णना कर सकता है, परन्तु एक से अधिक बार मतों की पुनगर्णना करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी बाध्यकर नहीं होगा।

21. परिणामों की घोषणाः– (1) जब मतो की गणना पूर्ण कर ली गई हो, तो रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में अधिक मत प्राप्त होने के क्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा तथा भरे जाने वाले स्थानो की संख्या के अनुसार उस क्रम में सफल अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करेगा। (2) यदि इस प्रकार निर्वाचित स्वीकार करने से इनकार करता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से कोई एक जिसे मतों की अगली अधिकतम संख्या प्राप्त हुई हो निर्वाचित हुआ समझा जाएगा तथा वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो प्रायः इस प्रकार रिक्ति होने पर अपनायी जाती है। (3) जब किन्ही दो या अधिक अभ्यर्थियों के मध्य मतों की समानता हो तो यथास्थिति भक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें निर्वाचित हुआ समझा जाएगा, रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा, ऐसी रीति में जिसे वह अवधारित करें, प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा। (4) जैसे ही परिणाम घोषित किया जाता है, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को उसके राज्य चिकित्सा परिषद में निर्वाचित किए जाने के बारे में सूचित करेगा।

22. मत पत्र रखे रहनाः– गणना पूर्ण होने पर और परिणाम घोषित हो जाने पर, रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों और निर्वाचन से सम्बंधित समस्त अन्य दसतावेज को सील करेगा और उन्हें छह मास की अवधि के लिए रखे रहेगा तथा राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना उक्त छह मास के अवसान के पश्चात भी इन अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगा या नष्ट नहीं करवाएगा।

23. निर्वाचन के परिणामों की सूचनाः– (1) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार को धारा – 3 की उपधारा – 9 के अधीन राजपत्र में उनके नाम प्रकाशित करने की इसकी कानूनी बाध्यता को पूर्ण करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सूचित करेगे। (2) निर्वाचन की बाबत किसी विवाद की दशा में, जिसे उक्त निर्वाचक के परिणाम की घोषणा के पन्द्रह दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल किया जा सकता है, इसे धारा 3 की उप–धारा 7 के अधीन इसके किस अधिकारी को जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, के माध्यम से राज्य सरकार को निर्दिष्ठ किया जाएगा जो अंतिम होगा।

भाग –VI

राज्य चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचनः–

24. राज्य चिकित्सा परिषद के सदस्यों का रजिस्टरः– राज्य चिकित्सा परिषद का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (साधारण) नियम 2006 के नियम 5 के अधीन यथा अपेक्षित एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समय–सयम पर निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम और अन्य दिए जाएगे।

25. राज्य चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रियाः– (1) यथाशक्य शीध्र और नई परिषद के गठन के 15 दिन अपश्चात, परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन, परिषद के सदस्यों द्वारा उनमें से यथास्थिति इसके गठन या पुनर्गठन के पश्चात उक्त परिषद की प्रथम बैठक में किया जाएगा। (2) रजिस्ट्रार बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अध्यक्ष के पद के लिए नामनिर्देशन (नामांकन) करने हेतु आमन्त्रित करेगा। प्रत्येक नामनिर्देशन (नामांकन) बैठक में उपस्थित एक अन्य सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में समर्थित किया जाएगा। परन्तु कोई भी सदस्य अध्यक्ष के पद के लिए एक सक अधिक सदस्य को नामनिर्दिष्ट या समर्थित नहीं करेगा। (3) यदि इस प्रकार नामनिर्दिष्ट मात्र एक ही व्यक्ति है तो उसे परिषद के अध्यक्ष के रूप में समयक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा। (4) तथादि, यदि अध्यक्ष के पद के लिए एक से अधिक सदस्य समयक रूप से नामनिर्दिष्क ओर समर्पित हैं, तो रजिस्ट्रार मतों पर आगामी कार्यवाही निम्नलिखित रीति में करेगा, अर्थातः–

(क) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को कागज की एक–एक पर्ची दी जाएगी, जिस पर सदस्य उस अभ्यर्थी का नाम लिखेगा जिसके पक्ष में वह मतदान करना चाहता है। वह फिर पर्ची को मोड़ने के पश्चात इसे रजिस्ट्रार को दे देगा।

(ख) रजिस्ट्रार, समस्त पर्थियों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की गणना करेगा तथा उस सदस्य को जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त किए है, अध्यक्ष के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित है, सम्यक रूप से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित करेगा।

(ग) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बराबर हो तो रजिस्ट्रार मामलो का विनिश्चय लाट द्वारा ऐसी रीति में कर सकता है, जो वह उचित समझे तथा लाटरी द्वारा इस प्रकार अवधारित सदस्य सम्यक रूप से परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

26. राज्य चिकित्सा परिषद के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रियाः– (1) नियम 25 के अधीन, निर्वाचित किए जाने के पश्चात अध्यक्ष, अध्यक्षता करेगा तथा राज्य चिकित्सा परिषद के सदस्य उनमें से परिषद के उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए प्रस्तावित करेंगे (2) नियम 25 में अधिकथित प्रक्रिया अपनायी जाएगी केवल उसी मामले में जहां मत बराबर हो अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

प्ररूप –1

(नियम 7 देखें)

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए दावा।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्
शिमला।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) के अधीन परिचित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (निर्वाचन) नियम 2007 के नियम 7 के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा 3 के खण्ड़ (ग) के अधीन, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा फाइल (दाखिल) करता हुं। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैः–

नाम .....
पता .....
.....
.....

शैक्षणिक अर्हताएं
.....

पदनाम और शासकीय (पदीय) पता, यदि कोई है : .....

दावे के लिए आधार (सबूत सहित यदि कोई है) .....

मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हुं राज्य का निवासी हुं और चिकित्सा में व्यवसाय कर रहा हुं / ..... राज्य में नियोजित हुं।

(दावेदार का हस्ताक्षरण)

स्थानः .....

तारीखः .....

प्ररूप – 2

(नियम 7 देखें)

प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि पर आक्षेप ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्
शिमला।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003 (2003 का 16) के अधीन विरचित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 2007 के नियम 7 के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा 3 के खण्ड़ (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के आगामी निर्वाचन के सबंध में आपके द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावली में निम्नलिखित प्रविष्टि के लिए, अपना आपेक्ष फाईल (दाखिल) करता हुं।

1. व्यक्ति का नाम

निर्वाचक नामावली में जिसके नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप किया गया है
.....

2. आपेक्ष की गई प्रविष्टि की विशिष्टियां

.....

3. प्रविष्टि पर आक्षेपों के आधार

.....

(आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थानः .....

तारीख : .....

क्रम संख्या और आक्षेपकर्ता का नाम जैसा कि निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया है।

.....

आक्षेपकर्ता का पता .....

(प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान : .....

तारीखः .....

क्रम संख्या और प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम जैसा कि निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया है।

..... प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता.....

प्ररूप – 3

(नियम 9 देखें)

हिमाचल पदेश चिकित्सा परिषद्

निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है किः–

(1) परिषद के रजिस्ट्रर में दर्ज रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायियों में से ..... सदस्यों के निर्वाचन हेतू ..... तारीख को निर्वाचन किया जाना है।

(2) नामनिर्देशन पत्र, अभ्यर्थी वैयक्तिक रूप से या उसके प्रस्थान द्वारा ..... को या उससे पूर्व डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को परिदन्त किया जा सकेगा।

(3) नामनिर्देशन पत्र का प्ररूप, रिटर्निंग अधिकारी से, किसी भी कार्य दिवस को केवल ..... रूपये के संदाय पर, उसके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

(4) नामनिर्देशन .....(तारीख) को संवीक्षा हेतू लिया जाएगा।

(5) अभ्यर्थियता वापस लेने की सूचना इस अभ्यर्थी द्वारा या प्रयोजन हेतू लिखित में सम्यक रूप से प्रच्पिकृत, उसके प्रस्थापक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को ..... (समय) तक ..... तारीख को परिदत की जा सकेगी।

(6) मतो की गणना ..... को .....रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में की जाएगी और केवल उपरोक्त तारीख और समय तक प्राप्त चिन्हित (चिहनांकित) मतपत्र की ही गणना की जाएगी।

(7) परिणाम मतों की गणना के तुरन्त पश्चात् घोषित किये जाएंगे।

स्थानः.....

तारीखः .....

.....

(नाम)

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप – 4

(नियम 10 देखें)

नामनिर्देशन (नामांकनपत्र)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 3 की उप–धारा 1 के खण्ड़ (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् का निर्वाचन।

1. अभ्यर्थी का नाम
.....

2. पिता का नाम
.....

3. अर्हता और जन्म–तिथि
.....

4. अर्हता की प्रकृति
.....

5. रजिस्ट्रीकृत संख्या (राज्य चिकित्सा रजिस्ट्रर में)।
.....

6. राज्य चिकित्सा रजिस्ट्रर या इसकी परिशिष्ट (वर्ष दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखे है, की पृष्ठ संख्या।
.....

7. नामावली में (क्रम संख्या)
.....

8. पता; मकान नम्बर
.....

ढलाक / ढली नम्बर
.....

गांव / नगर
.....

डाक खाना
.....

पिन कोड़
.....

9. प्रस्तावक (प्रस्थापक) का नाम .....

10. प्रस्तावक (प्रस्थापक) के हस्ताक्षर .....

11. राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रस्तावक (प्रस्थापक) की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उक्त रजिस्टर या उसका परिशिष्ट (वर्षा दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखे हैं की पृष्ठ संख्या

.....

12. नामावली में क्रम संख्या

.....

13. समर्थक का नाम

.....

14. समर्थक के हस्ताक्षर

.....

15. राज्य चिकित्सा रजिस्टर में समर्थक की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उक्त रजिस्टर या उसका परिशिष्ट, (वर्ष दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखा है, की पृष्ठ संख्या .....

16. नामावली में क्रम संख्या .....अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हुं कि मैं इस नामनिर्देशन (नामांकन) से सहमत हुं।

अभ्यर्थी

यह नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र मेरे द्वारा ..... (स्थान) पर ..... (तारीख) को ..... (समय) पर प्राप्त किया गया।

(रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

रिटर्निंग अधिकारी का नामनिर्देशन (नामांकन) पत्रों को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का विनिश्यच मैने इस नामनिर्देशन (नामांकन) पत्र का विधि के अनुसार परीक्षण कर लिया है ओर निम्नलिखित विनिश्चय किया है:–

स्थानः.....

तारीखः.....

.....

रिटर्निंग अधिकारी

नामनिर्देशन नामांकन पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा .....(समय) से पूर्व ..... को प्राप्त नहीं किया गया है, अविधिमान्य होगी।

प्ररूप – 5

(नियम 16 के उप–नियम (2) और (8) देखें)

सूचनापत्र

महोदय / महोदया,

ऐसे व्यक्ति जिनके नाम संलग्न मतपत्र में मुद्रित है, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा अभ्यर्थी

के रूप परिषद के निर्वाचन हेतू सम्यक रूप से अभ्यर्थी हैं। यदि आप निर्वाचन में वोट डालने की वाछां रखते है, तो, मैं आपसे निवेदन करता हुं कि आपसेः–

(क) प्ररूप – VI को भर कर हस्ताक्षर करें,

(ख) मतपत्र पर मुद्रित अनुदेशों के अनुसार (परूप –VII) मतपत्र में प्रयोजन हेतू उपबंधित स्तम्भ में अपना वोट चिन्हित चिहनांकित करें।

(ग) मतपत्र को छोटे लिफाफे में बन्द कर के संलग्न करे; और

(घ) छोटे लिफाफे और घोषणापत्र को, बाहरी लिफाफे जो कि आकार में बड़ा है और जिस पर पहले से ही मेरा पता मुद्रित हैं संलग्न करे और इसे अपने खर्च पर डाक द्वारा मुझे वापस करें या स्वयं मेरे कार्यालय में परिक्षत करें। जिसमें कि यह मेरे कार्यालय में. ..... तारीख .....20..... से पूर्व पहुंच जाए।

2. मतपत्र अस्वीकृत किए जाएंगे यदि .....

(क) बाहरी लिफाफा जिसमें मतपत्र लिफाफा या घोषणा पत्र संलग्न है, डाक द्वारा नहीं भेजा गया है या मेरे कार्यालय में स्वयं परिक्षत नहीं किया गया है या मतदान बन्द (समाप्त) करने के नियत समय के पश्चात प्राप्त किया गया है;

(ख) बाहरी लिफाफे में, छोटे लिफाफे के बाहर कोई घोषणा पत्र (अन्तर्विष्ट) न हो; या

(ग) मतपत्र, मतपत्र लिफाफे के बाहर रखा है; या

(घ) घोषणा पत्र वह न हो, जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान को भेजा है; या

(ङ) एक या एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र एक या उसी बाहरी लिफाफे में संलग्नप हो; या

(च) नर्वाचक (मतदाता) द्वारा हस्ताक्षर न किए हो; या

(छ) मतपत्र अविधिमान्य हो।

3. मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदिः–

(i) इस पर रिटर्निंग अधिकारियों के आघाक्षर; या

(ii) किसी मतदान ने, मतपत्र पर अपने नाम हस्ताक्षर किया हो, या उस पर कोई शब्द लिखा हो या कोई चिन्ह बनाया हो, जिसमें कि यह अभिज्ञे होता हो; या

(iii) उस पर कोई मत अभिलिखित न हो; या

(iv) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या, निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हो; या

(अ) प्रयुक्त मत की अनिश्चितता हेतू शून्य है।

4. यदि कोई मतदाता मूल / असावधानी / अनवधानता से कोई मतपत्र खराब कर देता है, तो वह मतदान के लिए नियत तारीख से 15 दिन अपश्चात रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर सकेगा, जो ऐसी अनवधानता का समाधान हो जाने पर उसे दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

5. मतो की गणना और संवीक्षा ..... (तारीख) को ..... (समय) पर शुरू होगी।

6. रिटर्निंग अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे वह अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे; अभ्यर्थी या सम्यक रूप से प्राधिकृत उनके प्रतिनिधियों के सिवाय कोई भी व्यक्ति संवीक्षा और गणना के समय उपस्थित नहीं होगा।

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप–6

(नियम 16 का उप–नियम (2) और 8 देखें)

घोषणा

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम 2003 (2003 का 16) की धारा 3 की उप–धारा 1 के खण्ड (ग) के अधीनप हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद का निर्वाचन।

निर्वाचन का नाम .....

राज्य चिकित्सा रजिस्टर ने रजिस्ट्रीकरण संख्या और उस रजिस्टर या उसके परिशिष्ट (वर्ष दर्शाते हुए) जिसमें नाम लिखें है, की पृष्ठ संख्या।

.....

मैं .....(पूरा नाम और पदनाम यदि कोई है) घोषणा करता हुं कि मैं हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2003 (2003 का 16) की धारा 3 की उप–धारा 1 के खण्ड (ग) के अधीन हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन हेतू निर्वाचक (मतदान) हुं।

स्थानः.....

तारीखः.....

निर्वाचक (मतदान) के हस्ताक्षर

प्ररूप–7

(नियम 16 का उप–नियम (2) और (8) देखें)

मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या .....,..... सदस्य (सदस्यों) को हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिशद का सदस्य निर्वाचित किया गया है / किए गये है।

क्रं संख्या	सम्यक रूप से नामनिर्देशित अभ्यर्थी का नाम व पते।	मत (वोट)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

..... रिटर्निंग अधिकारी के आद्याक्षर (प्रतिरूप) / अनुलिपि हस्ताक्षर / निर्देश।

1. प्रत्येक निर्वाचक (मतदाता) को जितने सदस्यों का निर्वाचित किया जाना है उतने अभ्यर्थीयों के लिए मत डालने का अधिकार है।

2. वह, उन अभ्यर्थीयों को जिन्हें वह अद्यिमान देना चाहे के नाम (मों) के सामने ष्ष का चिन्ह लगाकर मत देगा।

3. मत पत्र यदि .....

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारियों के आद्याक्षर या अनुलिपि (प्रतिरूप) हस्ताक्षर न हो; या

(ख) किसी मतदाता ने, मतपत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर किया हो, या उस पर कोई शब्द लिखा हो या कोई चिन्ह बनाया हो, जिससे कि यह अभिज्ञेश होता हो कि यह मतपत्र उसका है; या

(घ) उस पर कोई मत (वोट) अभिलिखित न हो; या

(ङ) 'X' चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है कि यह संदेहपूर्ण बन जाए कि यह किस अभ्यर्थी को उपयोजित करने के लिए आशयित है, या यदि, इसे निर्वाचित किए जाने के लिए अपेक्षित अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नामों के सामने रख (लिख) गया है;

संख्या का उपदर्शित किया जाना

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

[Authoritative English Test of this Department Notification No.HFW-B(A)2-2/2001-III dated 16-8-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No.16 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act

ibid and hereby publishes the same in the Rajpatra Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person likely to be affected by these rules has any objection or suggestion with regard to these rules, he may send the same to the Principal Secretary(Health) to the Government of Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft rules, namely:-

DRAFT RULES

PART-I

PRELIMINAR

1. *Short title and commencement.*— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules, 2007.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Hiamchal Pradesh.

2. *Definitions*.— (1) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context,-

(a) "Act" means the Himachal, Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003);

(b) "Council" means the Himachal Pradesh Medical Council constituted under section 3 of the Act;

(c) "Election" or "re-election" means election or re-election to the State Medical Council;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "nomination" or "re-nomination" means nomination or re-nomination to the State Medical Council;

(f) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(g) "register" means the Medical Practitioner's register maintained under section 15 of the Act;

(h) "Registrar" means the Registrar of Council to be appointed by the Council from time to time under section 14 of the Act;

(i) "Returning Officer" means the Registrar or the Deputy Registrar, as the case may be, acting as such under rule 3 of these rules;

(j) "section" means a section of the Act; and

(k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in these Rules, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

PART-II

ELECTION TO STATE MEDICAL COUNCIL

3. *Returning Officer*.— The Registrar or the Deputy Registrar shall be the Returning Officer. The Returning Officer shall inform the State Government about the constitution of a new Council and he shall also notify in the Official Gazette and in two leading newspapers, at least sixty days prior to the expiry of the tenure of the existing Council, about the constitution of a new Council and about the proposed schedule of election.

4. *Constitution of new Council.*— The following procedure shall be followed for the purpose of constituting the new Council, namely,-

(a) The Returning Officer shall intimate to the Dean/Principal/Director of every Government Medical College established by law in the State of Hiamchal Pradesh, having a medical faculty to elect one member from each Government Medical College by the medical faculty thereof from amongst the permanent members of the teaching faculty. The election shall be conducted and completed by the respective College, within thirty days, at a special meeting convened under the direction of the Director, Health Services, Himachal Pradesh, wherein the Director of Health Services or his representative shall observe the election proceedings and the name of the elected members shall be intimated to the Returning officer;

(b) The Returning Officer shall intimate to the Himachal Medical Officers' Association regarding the election of one member from amongst its members to be elected to the Council. The election of such member shall be conducted and completed by the said Association within thirty days, at a special meeting convened under the directions of the Director Health Services, Himachal Pradesh, wherein the Director of the Health Services or his representative shall observe the election proceedings and name of elected member shall be intimated to the Returning Officer. Only registered medical practitioner registered with the Council shall attend and vote in such a meeting.

Explanation.- For the purposes of the clause, the Director of Health Services shall decide as to which Association is recognized and his decision shall be final;

(c) The Returning Officer shall intimate to the State Government that the State Government shall nominate to the Council four members having registration qualifications as prescribed in the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No. 102 of 1956). The State Government shall intimate the names of such four members to the Returning Officer within thirty days.

(d) The Returning Officer shall conduct the election of eight members to be elected under clause (c) of section 3 of the Act by the registered practitioners from amongst themselves in accordance with the provisions contained in Part-III of these rules.

PART-III

PREPARATION OF ELECTORAL ROLL AND MODE OF ELECTION OF MEMBERS FROM REGISTERED MEDICAL PRACTITIONERS.

5. *Qualifications of Voters.*— (1)No person shall be qualified to vote or to be elected unless:-

(i) he is a citizen of India;
(ii) his name is entered in the register mentioned under section 15 of the Act;
(iii) he either carries on his profession or is employed in the State of Himachal Pradesh;

(2) A voter's name shall not be removed from the electoral roll for the reason that the elector has, subsequent to the publication of the final register, ceased to hold the capacity in which he was registered as such:

Provided that a candidate for an election must continue to hold the requisite qualification/capacity by virtue of which he is seeking election.

6. *Preparation of electoral roll*.— (1) The electoral roll for the election shall comprise all registered practitioners registered with the Council as on the date of the notice of the election issued under sub-rule (1) of rule 9.

(2) The electoral roll shall be prepared by the Registrar from the register containing the names of registered medical practitioners under section 15 of the Act and it shall contain the name, father's name, address and registration number of every elector qualified to vote for the election of a member of the Council.

(3) The names of electors shall be arranged in the order in which they are registered for inviting claims or objections, by making a copy thereof available for inspection by displaying it in the office of the Council.

(4) The Returning Officer shall publish the notice stating that any objection relating to entries or omission from the said electoral roll may be preferred to the Returning Officer at his office during office hours on or before the date of hearing of objections to be specified in the notice.

7. *Forms for lodging claims and objections and manner of their disposal***.—** (1) Every claim for inclusion of a name in the roll and every objection to an entry therein shall be lodged, within a period of thirty days from the date of publication of the roll under sub-rule (3) of rule-6 of these rules, in Forms-I and II respectively.

(2) Every claim in Form –I shall be signed by the person who requires his name to be included in the roll.

(3) Every objection in Form-II to the inclusion of a name in the roll shall be preferred by a person whose name is already included in the roll and shall be countersigned by another person whose name is also included in the roll.

(4) Every such claim or objection, as the case may be, shall be examined by the Registrar who shall record his remarks thereon, following which he may either allow or reject the claim or objection:

Provided that a claim or objection shall not be rejected unless the person making it is given an opportunity of making representation against such rejection.

(5) The decision of the Registrar allowing or rejecting a claim or objection shall be final.

8. *Final publication of the roll.*— (1) The Registrar shall after disposing of the claims and objections, if any, under rule 7, prepare a list of amendments to carry out his decisions under the said rule and to carry out any clerical or printing error and other inaccuracies, in the roll subsequently discovered or brought to his notice.

(2). The Registrar shall publish the roll together with the list of amendments by making a complete copy thereof available for inspection by displaying it at the office of the Council and cause to be printed a sufficient number of copies of the electoral roll for supply on payment to such persons as may apply for the same.

(3). On such publication, the roll together with the list of amendments shall be the electoral roll of persons who may elect the members of the State Medical Council under clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the Act.

(4). A copy of the roll together with amendments published under sub-rule(2) shall be sent by the Registrar to the State Government.

9. *Notice of election.*— (1) Whenever an election, under clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the Act, to the Council is to be held or a vacancy is to be filled the Registrar shall issue a issue a notice as per Form-III giving the following details and calling upon the electors to elect a member or members by a date to be specified in the notice:-

(a) the date of election;

(b) number of vacancies to be filled;

(c) the date and time by which the candidates should file their nominations;

(d) date and time of scrutiny of nomination papers;

(e) date and time by which a candidate can withdraw his candidature;

(f) date of counting of votes and declaration of results; and

(g) any other relevant information in regard to the election:-

Provided that-

(i) the date for making nominations which shall be the seventh day after the date of publication of the said notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(ii) the last date for withdrawal of candidature shall be the second day after the for scrutiny of nomination or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(iii) the date on which a poll shall, if necessary, be taken, which shall be date not earlier than the thirtieth day after the last date for withdrawal of candidature, and

(iv) the date, the time and the counting of votes and for declaration of results which shall not be beyond the third day from the date of poll.

(2) The notice issued under sub-rule (1) shall also invite nomination papers of the candidates for election to the Council and specify the place at where the nomination papers are to be delivered.

(3) A copy of notifice shall be affixed on the notice board in the office of the Registrar, as well as published in the leading two newspapers in English and Hindi.

10. *Presentation of nomination papers and requirements for valid nomination.*— (1) On or before the date appointed under sub-rule (1) of the rule 9 each candidate shall send by registered post with acknowledgement due or deliver in person to the Returning Officer a nomination paper in Form-IV alongwith a bank draft of Rs. 1000/- as security for each nomination, payable to the Himachal Pradesh Medical Council, at Shimla.

(2) Every nomination paper shall be subscribed by two electors one as the proposer and the other as the seconder and assented by the candidate proposed and seconded by them:
Provided that no elector shall subscribe as proposer or seconder more nomination papers than there are seats to be filled up.

Provided further that, if an elector subscribes to more number of nomination papers than there are seats to be filled up, the nomination papers first received by the Returning Officer to the number of seats to be filled up shall, if they are otherwise in order, be held to be valid, and if all such nomination papers subscribed by the same elector in excess of the number of seats to be filled up are received simultaneously, all such nomination papers shall be held to be invalid.

(4) On receipt of each nomination paper the Returning Officer shall endorse thereon the date and the hour of its receipt.

11. *Forfeiture and refund of security deposit.*— (1) If a candidate by whom or on whose behalf the deposit referred to in rule 10 has been made is not elected and the number of votes polled by him is less than 1/6th of the total valid votes polled as a whole or the candidate has posted exactly 1/6th valid votes polled, the security deposit shall be forfeited to the Council.

(2) The security deposit in the following cases shall by an order in writing of the President on the recommendation of the Returning Officer be refunded to the candidate or if not made by him to the person by whom it was made or where the candidate has died to his legal representatives –

(a) where the nomination paper of the candidate has been rejected; or

(b) where the candidate has withdrawn his nomination within specified time, or

(c) where the candidate has died before issue of the ballet paper to the electors.

(3) The deposit in the following cases shall be refunded after declaration of the result of the election –

(a) where the candidate though not elected does not forfeit his deposit under sub- rule (1); or

(b) where the candidate is elected.

12. *Rejection of nomination paper*.— A nomination paper which is not received on or before the date appointed by the Returning Officer in that behalf shall be rejected.

13. *Scrutiny of nomination paper***.—** (1) On the date and the time appointed by the Returning Officer for scrutiny of nomination papers, the candidates and the proposer and the seconder of each candidate or other representatives duly authorized by the candidates in this behalf, may attend the office of the Returning Officer who shall allow them to examine the nomination papers of all the candidates which have been received by him as aforesaid.

(2) A nomination paper shall be declared invalid -

(a) if a proposer or a seconder has signed the nomination papers of more candidates than the number of vacancies;

(b) if the nomination paper is not signed by the candidate or by the proposer or by the seconder;

(c) if the nomination paper is not addressed to the Returning Officer by name and does not reach him under a registered cover or is not delivered to him personally by the date and time notified for the purpose;

(d) if a sum of Rs. 1000/- required to be deposited as security under rule 10 by the candidate is not received by the Returning Officer within the stipulated date and time;

(e) if it does not bear the registration number of the proposer and seconder or if the registration number happened to be inaccurate;

(f) if the candidate has ceased to hold the requisite qualification or capacity by virtue of which he is seeking election; and

(g) if the candidate is disqualified under sub-section (1) of section 7 of the Act of being elected as member of the Council.

(3) The Returning Officer shall examine the nomination papers thus received and decide all questions which may arise as to the validity of any nomination and his decision thereon shall be final.

14. *Withdrawal of candidature*.— (1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and delivered to the Returning Officer before the date fixed under sub-rule (1) of rule-9.

(2) A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be re-nominated as a candidate for the same election.

15. *Publication of the List of contesting candidates*.— (1) Immediately after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under rule14 the Returning Officer shall prepare and publish a List of contesting candidates in one of the leading news-papers in the State

that is to say, candidates who were validly nominated and who have not withdrawn their candidature within the said period.

(2) The said List shall contain the names (in alphabetical order) and the addresses of the contesting candidates given in the nomination papers.

(3) The said List shall be published in the Official Gazette and given wide publicity in such manner as the Returning Officer may deem fit.

16. *Polling.*— (1) If the number of duly nominated candidates for election does not exceed the number of members to be elected, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates to be duly elected.

(2) If the number of such candidates exceeds the number of members to be so elected, the Returning Officer shall, not later than thirty days before the date appointed for the poll, send by registered post to every other elector a letter of intimation in Form-V together with a numbered declaration paper in Form-VI, a voting paper in Form-VII containing the names of candidates in alphabetical order and bearing the Returning Officer's initials or facsimile signature, a voting paper cover addressed to the Returning Officer and an outer cover also addressed to the said Officer:

Provided that the voting paper and other connected papers may also be sent to any elector on his applying the Returning Officer of the same before the date appointed for the poll, if the Returning Officer is satisfied that the papers have not been sent to him.

(3) A certificate of posting shall be obtained in respect of each such letter of intimation sent to an elector.

(4) An elector who has not received the voting and other connected papers sent to him by post or who has lost them or in whose case the papers before their return to the Returning Officer have been inadvertently spoilt, may transmit a declaration in writing to that effect and request the Returning Officer not later than fifteen days before the date appointed for the poll to send him fresh papers, and if the papers have been spoilt, the spoilt papers shall be returned to the Returning Officer, who shall cancel them on receipt.

(5) In every case in which such fresh papers have been issued, a mark shall be placed against the number relating to the elector's name in the roll to denote that fresh papers have been issued to him.

(6) No election shall be invalid by reasons of non-receipt by an elector, of his voting paper and other connected papers.

(7) Each elector shall have the right to vote for as many candidates as there are seats to be filled by the election, and the vote shall be non-transferable.

(8) Every elector desirous of recording his vote shall, after filling up the declaration paper (Form-VI) and the voting paper (Form-VII) according to the direction given in the letter of intimation (Form-V) enclose the voting paper in the voting cover, stick up and enclose the said cover alongwith the declaration paper, in the outer envelope addressed to the Returning Officer and send that outer envelope by post at the elector's own cost or by hand to the Returning Officer, so as to reach him not later than the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll.

(9) On receipt by post, or by hand, of the envelope containing the declaration paper and the closed cover containing the voting paper the Returning Officer shall enclose on the outer envelope the date and the hour of its receipt.

(10) All envelopes received after the said day and hour shall be rejected.

17. *Opening of Cover*.— (1) The Returning Officer shall open the outer envelopes immediately after the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll at the place to which the envelopes are addressed to him.

(2) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him, in writing, to be present at the time when the outer envelopes are opened.

18. *Rejection of voting paper covers*.— (1) A voting paper shall be rejected by the Returning Officer, if.-

(a) the outer envelope contains no declaration paper outside the voting paper cover, or

(b) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer, or

(c) the declaration paper is not signed by the elector, or

(d) the voting paper is placed outside the voting paper cover, or

(e) more than one declaration paper, or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope.

(2) In each case of rejection, the word “rejection” shall be endorsed on the voting paper cover and the declaration paper. The reasons for the rejection shall also be recorded, in brief, on the voting paper cover.

(3) After satisfying himself that the electors have affixed signatures to the declaration paper, the Returning Officer shall keep all the declaration papers in safe custody pending disposal under rule 22.

19. *Scrutiny and counting of votes*.— (1) On the date appointed for the counting of votes, the voting paper covers other than those rejected under rule 18 shall be opened and the voting papers taken out and mixed together.

(2) The voting papers shall then be scrutinized and the valid votes counted.

(3) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorized by him, in writing, to watch the process of counting.

(4) A voting paper shall be invalid if,-

(a) it does not bear the Returning Officer’s intrials or facsimile signature, or

(b) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it, or makes a mark on it by which it becomes recognizable as his voting paper, or

(c) no vote is recorded thereon, or

(d) it is void for uncertainty of the vote recorded; or

(e) the number of votes recorded thereon exceed the number to be elected, or

(f) the recording of the vote has been done at a place or in the manner other than that provided for the purpose.

(5) The Returning Officer shall show the voting papers to the candidates or their authorized representatives at the time of scrutiny and counting of votes, if so requested.

(6) If any candidate or his representative makes an objection to the acceptance of a voting paper on the ground that it does not comply with the specified requirements, or to the rejection of a voting paper by the Returning Officer, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision thereon shall be final.

(7) The Returning Officer shall nominate such number of scrutinisers as he deems fit in accordance with such directions as may be issued in this behalf by the State Government.

20. *Provision for recounts***.—** Any candidate or his agent may, at any time during the counting of the votes, make a request in writing to the Returning Officer to recount the votes of all candidates or of any candidate, and the Returning Officer shall forthwith recount the same accordingly. The Returning Officer may also, at his discretion, recount votes either once or more often in any case in which he is not satisfied as to the accuracy of any previous count, provided that nothing shall make it obligatory on the Returning Officer to recount votes more than once.

21. *Declaration of results.*— (1) When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall draw up a List of candidates in the order of higher votes polled by each and shall declare the result of the successful candidates in that order according to the number of seats to be filled up.

(2) If any candidate thus declared elected refuses to accept the election, then in the place of that candidate one of the remaining candidates to whom the next largest number of votes have been cast shall be deemed to have been elected, and the same procedure shall be adopted as often as a vacancy is caused in this way.

(3) When there is equality of votes among any two or more candidates, then the person or persons, as the case may be, who shall be deemed to have been elected shall be determined by lots to be drawn by the Returning Officer or any other officer authorized by him in such manner as he may determine.

(4) The Returning Officer shall , as soon as the result is declared, inform each successful candidate of his being elected to the State Medical Council.

22. *Voting papers to be retained.***—** Upon the completion of the counting and after the result has been declared, the Returning Officer shall seal the voting papers and all other documents relating to the election, and shall retain the same for a period of six months, and shall not destroy or cause to be destroyed these records even after the expiry of the said six months without the previous concurrence of the State Government.

23. *Intimation of results of election* .— (1) The Returning Officers shall intimate the names of the elected candidates to the State Government for enabling it to fulfill its statutory obligation of publishing their names in the Official Gazette under sub-section (9) of section 3 of the Act

(2) In case of any dispute regarding the election, which may be lodged with the Returning Officer within fifteen days of declaration of the results of that elector, it shall be referred to the State Government through an Officer, who shall be of rank of not below the Secretary to the Government, for its decision, under sub-section (7) of section 3 of the Act, which shall be final.

PART-IV

ELECTION OF PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT OF STATE MEDICAL COUNCIL

24. *Register of members of the State Medical Council.*— The Office of the State Medical Council shall maintain a Book giving the names and other details of the members elected or nominated to it from time to time, as required under rule 5 of the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2006.

25. *Procedure for election of President of the State Medical Council.*— (1) As soon as possible and not later than fifteen days after the constitution of the new Council, the election of the President of the State Medical Council by the Members of that Council from amongst themselves shall be held at the first meeting of the said Council after its constitution or reconstitution, as the case may be.

(2) The Registrar shall invite the members present at the meeting to make the nominations for the office of the said President. Each nomination shall be supported by another member present at that meeting as the seconder:

Provided that no member shall nominate or second more than one member for the said Presidentship.

(3) If there be only one person so nominated, he shall be declared duly elected as the President of the State Medical Council.

(4) If, however, there be more than one member duly nominated and seconded for the said Presidentship, the Registrar shall proceed to take ballots in the following manner, namely:-

(a) A slip of paper shall be given to every member present who shall write on it the name of one of the contestants in whose favour the member wishes to cast his vote. He shall then fold the slip and hand it over to the Registrar.

(b) On receipt of all the slips the Registrar shall count the number of votes secured by each contestant and shall declare that member who secures the largest number of votes to be duly elected as the President of the State Medical Council.

(c) If there is an equality in the votes secured by two or more contestants thus making it difficult to decide as to who gets the maximum votes, the Registrar may then decide the issue by taking lots in such manner as he deems fit and the person so identified by the draw of lots shall be declared as duly elected as the President of the State Medical Council.

26. *Procedure for election of Vice-President of State Medical Council.*—(1) The President of the State Medical Council having been elected under rule 25 will take chair and the members of the State Medical Council will propose to elect a Vice President of the Council from amongst themselves.

(2) The procedure laid down in rule 25 shall be followed except that the in case of equality votes, the President shall have a casting vote.

FORM-I

(See rule 7)

CLAIM FOR INCLUSION OF A NAME IN THE ELECTORAL ROLL

To

The Registrar,
Himachal Pradesh State Medical Council,
Shimla.

Sir,

I do hereby file under rule 7 of the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules, 2006 framed under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, (Act No. 16 of 2003) my claim for inclusion of my name in the electoral roll for the ensuing election to the Himachal Pradesh Medical Council under the clause (c) of the sub-section (3) of section 3 of the said Act. The relevant details are given below:-

Name (in block letters) .... …….....

Address ....……....
.....
.....

Academic qualification : .....

Designation and official address, if any. .....
.

Grounds for the claim (with proof if any) …….....

I declare that I am citizen of India, residing in _____ State and practicing in Medical / employed in …….. State.

Place: _____

(Signature of claimant)

Date: _____

FORM-II

(See rule 7)

OBJECTION TO AN ENTRY IN THE DRAFT ELECTROL ROLL

To

The Registrar,
Himachal Pradesh State Medical Council,
Shimla.

Sir,

I do hereby file under rule 7 of the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules, 2006 framed under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No.16 of 2003) my objection to the following entry in the electoral roll prepared by you in connection with the ensuing election to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the said Act:-

1. Name of the persons (in block letters) the entry of whose name in the electoral roll is objected to ……

2. Particulars of entry objected to …….…....

3. Grounds of objections to the entry …….....
.....
.....

Place: _____ (Signature of the objector)
Date: _____

Serial No. and name of objector
As entered in the Electoral Roll …….…….....

Address of the objector ……
.....
…….....

(Counter signature)

Place: _____
Date: _____
Serial No. and name of person countersigning
as entered in the electoral roll ……

Address of the person countersigning ……
.....
.....

FORM-III

(See rule 9)

Himachal Pradesh Medical Council

Notice of Election Programme

Notice is hereby given that -

(1) An election is to be held for election of _____ members from amongst the registered medical practitioners entered in the register of the Council, on _____ (date).

(2) Nomination paper may be delivered a candidate or his proposer in person by post to the Returning Officer on or before _____.

(3) Form of nomination paper may be obtained from the Returning Officer form his office on any working day on payment of Rs. _____ only.

(4) The nomination will be taken up for scrutiny on _____ (date).

(5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer, duly authorized in writing by the candidate for the purpose, to the Returning Officer up to _____(hours) _____ on _____(date).

(6) Counting of votes shall be done on _____ at _____ in the office of the Returning Officer at _____ and marked ballot paper received upto the aforesaid date and time only shall be counted;

(7) The result shall be declared immediately after the counting of votes.

Place: _____ _____

Date: (Name)

Returning Officer

FORM –IV

(See rule 10)

NOMINATON PAPER

Election to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003).

1. Name of the candidate .. …….....
.
2. Father's name ……....

3. Age and date of birth ..……..….....

4. Nature of qualification …….....

5. Registered number (in the State Medical Register) …….…....

6. Page No. in the State Medical Register or its supplement (mentioning The year) in which the name appears. …….....

7. Serial No. in the roll. ……..…

8. Addresss: House No. ..…….……
Block/Street No. …….…….....
Village/Town ……..…….....
Post Office …….....
Pin Code ……..….....

9. Name of proposer …….…..

10. Signature of proposer …….....

11. Registered No.of proposer in the State Medical Register and the Page No. in the said Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears. …….....

12. Serial No. in the roll …….……..….....

13. Name of seconder …….…….

14. Signature of seconder …….…….....

15. Registered No. of seconder in Medical Register and the page No. in the said Register or its Supplement (mentioning the year) in which the name appears. …….....

16. Serial No. in the roll ……..

Declaration by the candidate I hereby declare that I agree to this nomination

(Signature of candidate)

This nomination paper was received by me at (place) …… .....on (date) …… at (time) ……

(Signature of the Returning Officer).

Decision of the Returning Officer accepting or rejecting nomination papers

I have examined this nomination paper in accordance with law and decide as follows:

Place: _____

Dated: Returning Officer

INSTRUCTIONS

Nomination papers which are not received by the Returning Officer before (Hour) …….. on the ……. will be invalid.

FORM–V

(See rules sub-rules(2) & (8) of rule 16)

]

LETTER OF INTIMATION

Sir/Madam,

The persons whose names are printed in the enclosed voting paper have been duly nominated as candidates for election to the Himacha Pradesh State Medical Council under clause (c) of subsection (1) of section 3 the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003). Should you desire to vote at the election, I request that you will:-

(a) fill up and sign the declaration paper (Form-VI);

(b) mark your vote in the column provided for the purpose in the voting paper (Form-VII) as per instructions printed on the voting paper;

(c) enclose the voting paper in the small cover and stick it up; and

(d) enclose the small cover and the declaration paper in the outer envelope which is larger and on which my address is already printed and return the same to me by post at your cost or deliver it in person in my office so as to reach me not later than ……. On the …….. of 20……..

2. The voting paper will be rejected if –

(a) the outer envelope enclosing the voting paper cover and the declaration paper is not sent by post or not delivered in person in my office or received later than the hour fixed for the closing of the poll;

(b) the outer envelope contains no declaration paper outside the smaller cover; or

(c) the voting paper is placed outside the voting paper cover; or

(d) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer to the voter; or

(e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope; or

(f) the declarations not signed by the elector; or

(g) the voting paper is invalid.

3. A voting paper will be invalid if -

(i) if does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or

(ii) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it or makes any mark by which it becomes recognizable as his voting paper; or

(iii) no vote is recorded thereon; or

(iv) the number of votes recorded thereon exceeds the number to be elected; or

(v) it is void for uncertainty of the vote exercised.

4. If a voter inadvertently spoils a voting paper, he can return it not later than fifteen days before the date appointed for the poll, to the Returning Officer who will, if satisfied of such inadvertence, issue to him another voting paper.

5. The scrutiny and counting of votes will begin on …….. (date) at …… (hour).

6. No person shall be present at the scrutiny and counting except the Returning Officer or such other personas he may appoint to assist him, the candidates or their duly authorized representatives.

Returning Officer.

FORM-VI

(See sub-rules (2) and (8) of rule 16)

DECLARATION PAPER

Election to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of sub-section (1) section 3 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003).

Elector's name …….

Registration number on the State Medical Register and page number in that Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears. .....…….....

ELECTOR'S DECLARATION

I …… (name in full and designation, if any) declare that I am an elector for the election of members to the Himachal Pradesh Medical Council under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (16 of 2003) and that I have submitted no other voting paper at this election.

Station ……

Signature of elector

Date …….

FORM-VII

[See sub-rules (2) and (8) of rule 16]

VOTING PAPER

Serial No. of Voting paper …… ,* ……. Member(s) is/are to be elected to the Himachal Pradesh

State Medical Council under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (16 of 2003)

	d addresses of candidate duly nominated	

Initials/facsimile signature of the Returning Officer ……..……

INSTRUCTIONS

1. Each elector has the right to vote for as many candidates as the number of members to be elected.

2 He shall vote by placing the mark 'X' opposite the name(s) of the candidate(s) whom he prefers.

3. The voting paper shall be invalid if-

(a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or

(b) the voter signs his name or writes word or makes any mark on it, by which it becomes recognizable as his voting paper; or

(c) no vote is recorded thereon; or

(d) the mark 'X' is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or if it is placed against the names of more number of candidates than required to be elected.

*Number to be indicated

By order,
Sd/-
Principal Secretary

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित